



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129156

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 20643/2026

असलम

.....आवेदक

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के लिए अधिवक्ता

: सुनील कुमार

विपक्षी पक्ष(पक्षों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I

1. आवेदक के वकील श्री सुनील कुमार और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी गई और अभिलेख देखा गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदकों की ओर से, विचारण लंबित रहने के दौरान, उन्हें थाना ककोड़, जनपद बुलंदशहर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 144 वर्ष 2026, अंतर्गत धाराएं 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 127(2) एवं

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



109(1) भारतीय न्याय संहिता, के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के वकील ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है; वह 25.4.2026 से जेल में बंद है। आवेदक के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबूत नहीं है। मौजूदा आरोपी-आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई है। कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदक का 15 मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसके बारे में उसने जमानत अर्जी के समर्थन में दायर हलफनामे के पैरा-23 और पूरक हलफनामे में बताया है। यह भी कहा गया है कि आवेदक भरोसा दिलाता है कि अगर उसे जमानत मिलती है, तो वह मिली आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि अदालत में मामलों की भारी लंबित मामलों की अधिक संख्या) को देखते हुए, विचारण के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की मांग का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के बारे में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए सबूतों और आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि पर विचार करने के बाद, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला बनाया है।

6. तदनुसार, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

7. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी आवेदक- **असलम** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक यह वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर निचली अदालत इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, निचली अदालत उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी/269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी/ 84 बीएनएसएसएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ट्रायल कोर्ट उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी/209 बीएनएसएसएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगा। (iv) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/ धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि ट्रायल कोर्ट की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो ट्रायल कोर्ट ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से माननीय ट्रायल जज को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-1)

23 जून, 2026

आशुतोष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”